

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९९३, दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के आलोक में गोपालगंज जिला के थावे प्रखंड के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

| क्र० | नाम | पता | पद | दूरभाष |
|------|----------------------------|---|---------|-----------------|
| १ | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह | ग्रा०+पो०- वृन्दावन | अध्यक्ष | ९९७३२४७६८२ |
| २ | मो० अजीमुल हक | ग्रा०+पो०- बेटुटोला | सदस्य | ९४३१२१७७५१ |
| ३ | श्री पारसनाथ सिंह | ग्रा०+पो०- वृन्दावन | सदस्य | ९९३४६९९३६० |
| ४ | श्री राजेन्द्र गुप्ता | ग्रा०+पो०- थावे | सदस्य | |
| ५ | मो० तनबीर आलम | ग्रा०+पो०- चितु टोला | सदस्य | ९५०७०८२०६१ |
| ६ | श्री अक्षयलाल विन्द | ग्राम+पो०-पिपराही, प्रखंड-थावे, जिला-गोपालगंज | सदस्य | ९१८२८४११८ |
| ७ | श्री धर्मवीर शर्मा | द्वारा-अवधेश शर्मा, ग्रा०-नारायणपुर, रपो०- मीरगंज, गोपालगंज | सदस्य | ०९९११९१८३३ ४ |
| ८ | मो० अख्तर हुसैन | ग्राम+पो०-वृन्दावन, थावे, गोपालगंज | सदस्य | ९४३०२३१७२५ |
| ९ | श्रीमती श्यामलता तिवारी | पति-श्री कौशल किशोर तिवारी, ग्रा-वृन्दावन, पो-थावे, गोपालगंज | सदस्य | ९३०४६०९६०४ |
| १० | श्री प्रेम रामपुर (मुखिया) | ग्रा०-भूसाव, पो०-भगवानपुर, प्र०-थावे गोपालगंज | सदस्य | ९९३९७७९७५६ |


२. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्य एवं सदस्य सचिव विभागीय संकल्प सं० ९९३ दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे -

- (i) प्रखंड के लोक सभा के सदस्य - सदस्य
 - (ii) प्रखंड के राज्यसभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
 - (iii) प्रखंड के विधान सभा के सदस्य - सदस्य।
 - (iv) प्रखंड से विधान परिषद के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
 - (v) पंचायत समिति के अध्यक्ष - सदस्य
 - (vi) अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय /तकनीकी पदाधिकारी - सदस्य
 - (vii) प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक - सदस्य
 - (viii) अंचल अधिकारी - सदस्य
 - (ix) प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव।
३. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।
४. विभागीय संकल्प सं०-३३५ दिनांक २४.०७.२०१३ के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनीत कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक :- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011.....५९१...../ पटना, दिनांक- 27/11/13/
प्रतिलिपि :- सभी मंत्री/राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।


(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक- 27/11/13/

ज्ञापांक :- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011.....५९१...../

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक- 27/11/13/

ज्ञापांक :- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011.....५९१...../

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/ महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने स्तर से मनोनीत सदस्यों को अधिसूचना की एक प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे।


(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक- 27/11/13/

ज्ञापांक :- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011.....५९१...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।